दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2014/ 855

दिनांक : 10.05..2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
भवदीय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट,
सिवार, सोहावल,
फैजाबाद।

विषय : महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः **सम्ब0 133/सत्तर–6–2014–2(141)/2014 दिनांकः 07 मई, 2014** के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **भवदीय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, सिवार, सोहावल, फैजाबाद** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत दिनॉक 01.07.2014 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है–

1. संस्था शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेंगी।
2. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का संस्था नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो, तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह मे प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. विश्वविद्यालय से अनुमोदित बी0एड0 विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण कराकर शिक्षण कार्य कराया जायेगा एवं उन्हें बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आगामी शैक्षित सत्र में सम्बद्धता प्रस्तावों के साथ उक्त से सम्बन्धित तमाम अभिलेख एवं प्रश्नगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, नकल विहीन परीक्षा होने का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा।
6. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को सम्यक रूप से पूर्ण करेगी तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भवदीय

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. परीक्षा नियन्त्रक/वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।
2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप कुलसचिव

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

51
Recommendation
13/5/2015

F. No./NRC/NCTE/NRCAPP-3530/2015 / 95295 Date: 28 APR 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. **AND WHEREAS,** the institution, **Bhavdiya Educational Institute, Plot No. 1173, Khasara NO. 1173, Street Number-NA, Village/Town- Sebar, Post office- Badagaon, Tehsil/Taluka- Sohawal, Town/City- Sohawal, State- UP, District- Faizabad(UP), Pin Code –224126 has** by affidavit consented to come under New Regulations and has sought **for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.**

3. **AND WHEREAS,** it has been decided to permit the institution to have two basic **units of 50 students** each, subject to the institution fulfilling the following conditions, namely:-

(i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Northern Regional Committee, with required documents by October 31, 2015.

(ii) The institution for additional unit will be required to submit the required documents such as, land documents, non-encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents, if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.

(iii) The Regional Committee shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these conditions by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institution shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

(iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith documents, if any, together with the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

4. **Now therefore,** in light of the aboabove, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to **Bhavdiya Educational Institute, Plot No. 1173, Khasara NO. 1173, Street Number-NA, Village/Town- Sebar, Post office- Badagaon, Tehsil/Taluka- Sohawal, Town/City- Sohawal, State- UP, District- Faizabad(UP), Pin Code –224126** for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 students, for two basic units of 50 students each, from the academic session 2015-2016 subject to fulfilment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building

4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan), Phone:(0141)- 2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173

दूरभाष - 05278-245957
फैक्स - 05278-248123

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2017 / 3646

दिनांक : 02–03–2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
भवदीय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट,
सिवार, सोहावल, फैजाबाद।

विषय : महाविद्यालय को बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में सम्बद्धता समिति की संस्तुति दिनांक 08.05.2016 के क्रम में कुलपति महादेय के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में भवदीय एजूकेशलनल इंस्टीट्यूट, सिवार, सोहावले, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम 100 सीट (2 यूनिट) को शैक्षिक सत्र 2014–15 में संचालित किये जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की संस्तुति एवं सम्बद्धता प्रस्ताव में संलग्न प्रमाणित अभिलेखों एवं अंकित मानकों / विवरणों के सत्यापन के अधीन निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दिनॉकः 01.07. 2016 से बी0एड0 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाता है–

1. महाविद्यालय / संस्था इंगित कमियों यथा–प्रबन्ध समिति अनुमोदित नही है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर कार्यभार ग्रहण कराकर, नियुक्ति पत्र / कार्यभार ग्रहण करने का पत्र एवं अनुबन्ध पत्र की एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
2. महाविद्यालय / संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण एवं माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है ।
3. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम मे एन0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र मे होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा मे सम्मिलित एवं काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धरित समस्त मानकों को सम्यक रूप पूर्ण करेगी तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी। यह सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुमोदन के अधीन है।
5. महाविद्यालय / संस्था शासनादेश संख्याः 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय / संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय / संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. शासनादेश के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
9. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हे विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा। अनुमोदित शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगे।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1 परीक्षा नियन्त्रक / वित्त अधिकारी / उप कुलसचिव परीक्षा।
2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।